INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

... अधिनियम 1908 की धारा ...16. J. ... P.R.O. के अधीन

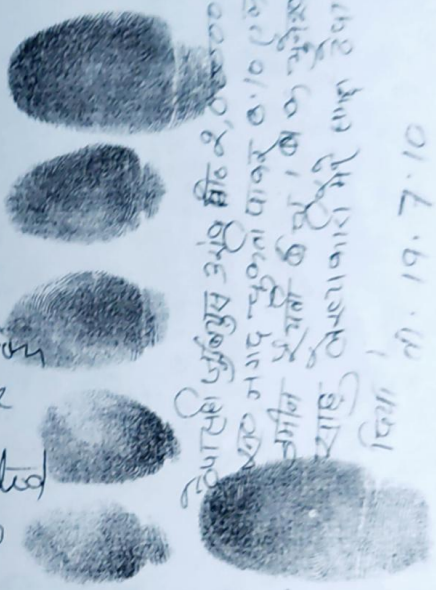

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (इण्डियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची 1 या 1 क संख्या 23 - I - A With the Permission by S.D.O. Simdega Vide File No. 381/2009-10 order dated 17-6.10

... स्टाम्प ... स्टाम्प शुल्क ...

19.7.10

[illegible]

19.7.10

(1) लेखयकारी :- श्री जुलियुस उरांव पिता स्व0 जोहन उरांव जाति उरांव पेशा खेती बारी निवास गांव खिजरी सामटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - - - - - - - - विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या - - - - 518 - - - - - -/ 2010

(2) लेखयधारी :- श्री बियुस टोप्पो पिता स्व0 पतरस टोप्पो जाति उरांव पेशा खेती बारी निवास गांव सनसेवई टेना टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - भारतीय नागरिक - क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या - - - - 519 - - - - - -/ 2010

पहचान — सत्य प्रकाश प्रसाद
पिता - श्री रामलाल प्रसाद
ग्राम - ... सलडेगा
थाना - सिमडेगा
जिला - सिमडेगा
19-07-2010

जुलियुस उरांव ... 2,00,000/- ... 19.7.10

000145/10

(303/10)

कार्यालय जिला कोषागार पदाधिकारी
02 JUL 2010
सिमडेगा

विमुस टोप्पो
स्व. ... टोप्पो
ग्रा. ... ठिकाना ... ...
... ...
... कोरियाला
रुपया 8000/-
... 7.10
कोषागार लिपिक
सिमडेगा

5000×1=5000/-
500×6=3000/-
कुल 8000/-

आपेसहा जुलियुस उरांव
ग्रा.क. मुनिरुल (लाह)
दी. 19.7.10

19.7.10 10 रु.

... ... निबन्धन कार्यालय
... में ... ...
... मुख्तार ... ...
... शामत संख्या ... ...
... ... के लिए ...
... द्वारा प्रमाणीकृत है।
नाम श्री जुलियुस उरांव
पिता का नाम स्व. मोहन उरांव
ग्राम ... रिवाजरी ... थाना सिमडेगा
जिला ... रिवाजरी ... ... सिमडेगा
सामटोली
19.7.10

[redacted]

19.7.10

जिला ... ... सिमडेगा

§3§ लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र-पुत्रादिक हमेशा के लिए ।

§4§ मूल्य :- मोवलिग दो लाख रूपये अंके 2,00,000/- रूपये जिसका आधा एक लाख रूपये अंके 1,00,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति :- एराजियात 0.10 एकड़ § दस डिसमिल § जमीन हकियत रैयती मय दखाली खातियानी वाके मौजा खिजरी पुष्पपुर थाना नं0 105 थाना सिमडेगा सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा के अन्दर खाता नं0 168 § एक सौ अरसठ § प्लाट नं0 2399 § तेइस सौ निन्यानब्बे § रकबा 1.09 एकड़ में से 0.10 एकड़ § दस डिसमिल § जमीन जिसको चौहद्दी :-

पूरब :- इसी प्लाट का अंश नीज विक्रेता का टांड़,

पश्चिम :- स्कोलिस्टीका तिर्की का टांड़,

उत्तर :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया रास्ता कच्चा 10" का

दक्षिण :- सामवेल एक्का का हात्ता ।

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा 0.10 एकड़ सिर्फ जिसका मालगुजारी सालाने 05 पैसे अलावे शेष । वर्णित विक्रीत जमीन

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.　　Rs 500

पाँच सौ रुपये　FIVE HUNDRED RUPEES

आवासीय है जिस पर मकान अथवा किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है ।

§1§ चूँकि इस समय मुझे अपनी पुत्री की शादी खर्च के वास्ते रूपये की अति आवश्यकता है इसलिए मैंने वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो० 2,00,000/- रूपये नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेखधारी के पास रैयती बेचा और अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थ्यता में रह कर यह विक्रय-पत्र बेयाला दस्तावेज लिखा दिया कि प्रमाण रहे ।

§2§ चूँकि हम दोनों पक्ष आदिवासी समुदाय के रैयत हैं अतः जमीन बिक्री हेतु आवश्यक परमीशन का आवेदन सी०एन०टी० एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 381/2009-10 श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृति दिनांक 17-6-10 को हुई और मेमो नं० 537§1§ रेव० दिनांक - 17-6-2010 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई ।

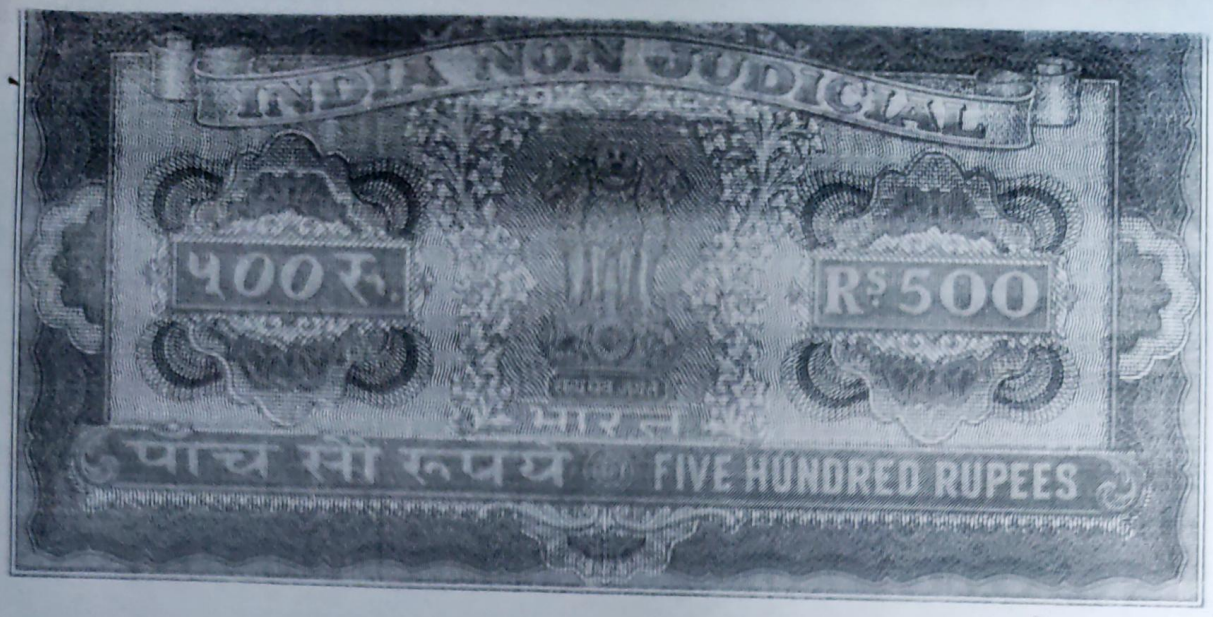

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रूपये FIVE HUNDRED RUPEES

(3) मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी पुस्तैनी खातियानी है जो मेरे दादा लुखु उरांव के नाम खातियान में नाप दर्ज है । वर्णित जमीन मेरे दादा के हिस्से को थी उनके मृत्योपरान्त वर्णित जमीन मेरे पिता को प्राप्त हुआ और पिता के मरने के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर मेरे हिस्से वो हक में आयी जिस पर मेरा निर्विवाद दखल वो कब्जा है । जमीन पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है ।अब से उस पर सारा हक वो दखल कब्जा लेख्यधारी को हस्तान्तरित कर दिया अब से उस पर मेरा किसी प्रकार का दखल कब्जा वो अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भाविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

(4) चाहिए कि लेख्यधारी वर्णित जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान सहन आदि बनावें वो जैसा मन चाहें अपने उपयोग में लावें वजरिये झारखण्ड सरकार के जमींदारी तिरिस्ते अंचल कार्यालय सिमडेगा से तारीख लेख्य से दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें ।

सुबोध कुमार खाखा
पि० स्व० सिलास खाखा
ग्राम रेंगारी सामटोली सिमडेगा
T. 19.7.2010

ह० ... 19.7.10

500Rs

मैं, लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - ठेपा लहि जुलियुस उरांव
ब.क गुनेश्वर साहु
ता॰ 19.7.10

ठेपा दाहिना जुलियुस उरांव
ब.क गुनेश्वर साहु
ता॰ 19.7.10

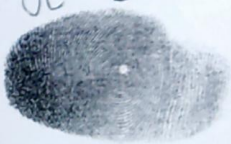

प्रमाणित किया जाता है कि जुलियुस उरांव का बायाँ हाथ का पाँचो अंगुलियों का छाप मेरे सामने लिया गया है ।

राजेश्वर साहु
अधिवक्ता
19/7/10

-: 6 :-

मैं, लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - बिरसुस टोप्पो
19-7-2010

प्रमाणित किया जाता है कि बिरसुस टोप्पो का बाया हाथ का पांचो अंगुलियों का छाप मेरे सामने लिया गया है ।

राजेश्वर साहु
अधिवक्ता
19/7/10

विक्रयकारी के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया जिसे स्वीकार किये ।

प्रारूप कर्त्ता,

तारीख - 19/7/10

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 7 पृष्टों में कुल 564 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

टंकक -

ह0/-

19/7/10

॥ नारायण दास ॥

कचहरी परिसर, सिमडेगा ।